अध्याय IV: भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

4.1 देर रात्रि जलपान भत्ते हेतु कर्मचारियों को अनुचित लाभ

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने डीपीआई दिशानिर्देशों व स्वयं की कार्मिक नीति के उल्लंघन में अपने कर्मियों को देर रात्रि जलपान भत्ते के भुगतान हेतु ₹16.69 करोड़ तक का अनुचित लाभ पहुंचाया।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने 01 जनवरी 2007 से लागू केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) में बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतनमान में संशोधन पर दिशानिर्देश जारी किए थे (नवंबर 2008)। डीपीई ने 01 जनवरी 2007 से लागू प्रबंधकों के साथ मजदूरी समझौता वार्ता के आधार पर सीपीएसईज़ के संगठित श्रमिकों की मजदूरी और भत्तों में संशोधन हेतु भी दिशानिर्देश जारी किए थे (नवंबर 2006 और मई 2008)।

नवंबर 2008 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई का निदेशक मंडल मूल वेतन के 50 *प्रतिशत* की अधिकतम सीमा के तहत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य भत्तों और अनुलाभों पर निर्णय करेगा। भत्तों का निश्चित सेट रखने के बजाय सीपीएसई 'कैफेटेरिया प्रस्ताव' का पालन कर सकते थे जिससे कर्मचारी अनुलाभों और भत्तों के एक समूह में से चयन कर सकें। दिशानिर्देशों में आगे निर्धारित किया गया कि सीपीएसई द्वारा निर्मित बुनियादी सुविधाएं जैसे अस्पताल, कॉलेज, क्लब इत्यादि को अनुलाभों और भत्तों को संगणना के उद्देश्य से मुद्रीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केवल चार प्रकार के भत्ते मूल वेतन के 50 *प्रतिशत* की सीमा से बाहर रखे गए थे जैसे-पूर्वोत्तर भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए भत्ता, कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा के लिए भत्ता और गैर-अभ्यास भत्ता। डीपीई ने आगे स्पष्ट किया (जून 2012 और जून 2013) कि निर्धारित सीमा के बाहर कोई और भत्ता/लाभ/अनुलाभ स्वीकार्य नहीं है।

डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने 01 जनवरी 2007 से लागू, बीएचईएल के कार्यकारियों, असंगठित पर्यवेक्षकों और नियमित कामगारों के वेतन एवं भत्तों में संशोधन हेतु आदेश जारी किए थे। इन परिपत्रों में अन्य

बातों के साथ यह भी लिखा था कि आधी रात से अधिक समय तक चलने वाली शिफ्टों के लिए कर्मचारी प्रति रात ₹100 की दर पर देर रात्रि जलपान भत्ते (एलएनएसए) के हकदार थे। तद्नुसार, बीएचईएल की कार्मिक नीति में यह भी बताया गया कि देर रात्रि जलपान भत्ता ₹100 प्रति रात्रि की दर पर 1 जनवरी 2010 से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2014 तक उन सभी कर्मचारियों के लिए देय होगा जो आधी रात से अधिक के लिए विस्तारित रात्रि शिफ्टों में कार्य करते है। एलएनएसए की दर 01 जनवरी 2015 से ₹175 प्रति रात्रि तक बढ़ा दी गयी (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए लागू नवंबर 2008 के डीपीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित एलएनएसए को मूल वेतन के 50 *प्रतिशत* की सीमा से बाहर रखा गया था। इस प्रकार, कार्यकारियों और पर्यवेक्षकों को किया गया एलएनएसए का संपूर्ण भुगतान अग्राहय था। बीएचईएल की इकाई भारी विद्युत उपकरण संयंत्र (एचपीईपी) हैदराबाद में 2014-15 से 2017-18 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि इकाई ने डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एलएनएसए के संबंध में अपने कार्यकारियों तथा पर्यवेक्षकों को ₹3.72 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया **(अनुलग्नक-II)**। कामगारों के मामले में एलएनएसए के भुगतान की दर समझौता वार्ता के माध्यम से निर्धारित की गई थी। तदनुसार, कार्मिक नीति के प्रावधानों के अनुसार एलएनएसए का भुगतान किया जाना था जिसमें निर्धारित किया गया था कि उन कर्मचारियों के लिए यह देय होगा जो आधी रात से अधिक समय तक रात्रि शिफ्टों में काम करते है। बीएचईएल ने आवश्कयता आधार पर विभिन्न उत्पादन ब्लॉकों के चिन्हित कार्य स्थलों में 01 सितंबर 2014 से तीसरी शिफ्ट (अर्थात् 11 बजे रात्रि से अगली सुबह 7 बजे तक) का परिचालन प्रारंभ किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2014 से मार्च 2018 के दौरान, एचपीईपी इकाई ने दूसरी शिफ्ट में लगे हुए कामगारों को एलएनएएस का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹12.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-II)**।

लेखापरीक्षा पैरा केवल हैदराबाद की ईकाई बीएचईएल-एचपीईपी से संबंधित है। प्रबंधन को बीएचईएल की अन्य इकाईयों में किए गए समान अतिरिक्त भुगतानों की गणना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जून 2018) कि:

(क) एलएनएएस को प्रारंभ करने का प्रयोजन यह था कि देर रात के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को स्नैक्स/जलपान के लिए मौद्रिक लाभ प्रदान करना था।

एलएनएसए हेतु पात्रता और इसका परिणामी भुगतान सर्वदा आकस्मिकता आधारित था, उन शिफ्टों पर निर्भर करता था जिसमे कर्मचारी लगे हुए थे।

(ख) कामगारों के लिए एलएनएसए का भुगतान नवंबर 2008 डीपीआई दिशानिर्देशों की सीमा के बाहर था चूंकि प्रबंधन के साथ वार्ता के माध्यम से कामगारों की मजदूरी में संशोधन किया गया था।

(ग) दूसरी शिफ्टों में लगे हुए कर्मचारियों को ड्यूटी के बाद घर वापस आने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए एलएनएसए प्रदान किया गया था।

(घ) इकाई ने एक परिपत्र जारी किया (अप्रैल 2018) था जिसमें कहा गया था कि एलएनएसए का भुगतान केवल आधी रात से अधिक समय तक की शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों को किया जाएगा।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर निम्न के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है:

(क) सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने स्पष्ट किया (जून 2012 और जून 2013) कि कार्यकारियों और पर्यवेक्षकों के मामले में मूल वेतन के 50 *प्रतिशत* की निर्धारित सीमा के बाहर कोई अन्य भत्ता/छूट/अनुलाभ स्वीकार्य नहीं है। कार्यकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए एलएनएसए का भुगतान मूल वेतन की 50 *प्रतिशत* की सीमा के अलावा दिया गया अतिरेक लाभ था तथा इसलिए यह अस्वीकार्य था।

(ख) दूसरी शिफ्ट में लगे हुए कामगारों के लिए एलएनएसए का अनुदान कंपनी की कार्मिक नीति के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो मजदूरी से संबंधित वार्ता पर आधारित थे। तदनुसार केवल उन कामगारों को एलएनएसए का भुगतान किया जाना था जो आधी रात से अधिक समय (अर्थात् तीसरी शिफ्ट) की शिफ्ट में काम करते थे।

(ग) बीएचईएल की एचपीईपी इकाई द्वारा केवल कामगारों के संबंध में ही सुधारात्मक कार्रवाई (अप्रैल 2018) की गई। समग्र रूप में और कर्मचारियों के सभी वर्गों के संबंध में बीएचईएल द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है।

इस प्रकार, बीएचईएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के साथ ही अपनी कार्मिक निति के उल्लंघन में, ₹16.69 करोड़ तक के देर रात्रि जलपान भत्ते के भुगतान हेतु अपने कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।